गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2023 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
15.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
16.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
17.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा प्रारंभिक उद्बोधन में विकास के अवसरों का जीवन एवं कार्यालयीन कार्यों के महत्व पर चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर विश्वविद्यालय के विकास में भागीदार बनने प्रेरित किया तथा विश्वविद्यालय के आगामी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.04.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.04.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि इस संशोधन के साथ की जाय कि अ.अ.विषय क्र.–2 में ''जीजीवी श्रवण ऑनलाईन'' को ''जीजीवी श्रवण लाईन'' पढ़ा जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.04.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.04.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

13/04/2023

13/04/23

विषय क्र. 03. **संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 03.04.2023 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम कोड एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 03.04.2023 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम कोड एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित अंक योजना एवं पाठ्यक्रम प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन हो तथा क्रेडिट की गणना में भी पुनः गणना कराकर आवश्यक संशोधन कर लिया जाय।

विषय क्र. 04. **विश्वविद्यालय परिसर में डे केयर केन्द्र/क्रेच की स्थापना पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसर में डे केयर केन्द्र/क्रेच की स्थापना की जाय। इस हेतु विश्वविद्यालय ज्ञापन क्रमांक 358/विकास/2022 दिनांक 12.04.2023 के तहत नियुक्त समन्वयक एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण योजना के सुचारू संचालन हेतु परामर्श मण्डल गठित किया जाय। इस हेतु कुलपति महोदय अधिकृत होंगे।

विषय क्र. 05. **शारीरिक शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्यान के आधार पर फिजियोथैरपिस्ट की नियुक्ति पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्यान के आधार पर फिजियोथैरपिस्ट की नियुक्ति की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि फिजियोथैरेपी से संबंधित कक्षायें एवं प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में संचालित की जाय तथा फिजियोथैरपिस्ट की बैठक व्यवस्था भी स्वास्थ्य केन्द्र में ही की जाय।

विषय क्र. 06. **छत्तीसगढ़ ट्रायबल म्यूजियम स्थापना हेतु प्रस्तुत ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ ट्रायबल म्यूजियम स्थापना हेतु प्रस्तुत ड्राफ्ट प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 07. **विश्वविद्यालय में महिला चिकित्सा अधिकारी की मांग पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में संविदा आधार पर अंशकालिक रूप से महिला चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की जाय।

विषय क्र. 08. **इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी विद्यापीठ में इलेट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच खोलने के प्रस्ताव पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी विद्यापीठ में इलेट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच खोलने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

13/04/2023

13/04/23

विषय क्र. 09. अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.04.2023 एवं दिनांक 12.04.2023 के कार्यवृत्त पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.04.2023 एवं दिनांक 12.04.2023 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.–1 शैक्षणिक पदों के नियुक्ति संबंधी विज्ञापन प्रारूप पर चर्चा की गई। स्थायी समिति के समक्ष यह जानकारी प्रस्तुत किया गया कि पीसीआई से यह पत्र प्राप्त हुआ है कि फार्मेसी विभाग के पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 के प्रावधान लागू किये जाय। चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने पत्र पीसीआई को प्रेषित किया जाय तथा पुनः दिशा–निर्देश प्राप्त कर लिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया जाय एवं फार्मेसी विभाग के पदों के लिए यह शर्त अंकित कर दिया जाय कि "फार्मेसी विभाग के पदों पर भर्ती पीसीआई से प्राप्त होने वाले दिशा–निर्देशों के अधीन रहेगा। विज्ञापित अर्हता में यदि पीसीआई द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन किया जाता है, तो ऐसा परिवर्तन अथवा संशोधन सर्वमान्य होगा तथा संशोधित दिशा–निर्देश/अर्हता के अधीन ही कार्यवाही की जायेगी।"

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

13/04/23	13/04/2023
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव	**कुलपति/अध्यक्ष**